...ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 79/2022 अनवान सवाई बनलाम लालाराम	नम्बर व तार... अहकाम जो... हुकम की ता... मे जारी हुए
16/08/22	**निर्णय** पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। न्यायालय समय में अलग-अलग समय में आवाजे लगाने के बावजूद अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 01 से 02 का जवाब बन्द करते हुए उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे उसे सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं बस्ताराम के वंशज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 806 रकबा 03.00 बीघा व खसरा संख्या 963/807 रकबा 23.18 बीघा कुल रकबा 26.18 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बाहमी रूप से बंटवाडा करवा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 उसमे सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्यायिक प्रकरणों की संख्या में भी अनावश्यक वृद्धि होगी। लिहाजा प्रार्थी इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्राप्त करने का अधिकारी है कि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 806 रकबा 03.00 बीघा व खसरा संख्या	

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 79/2022 अनवान सवाई बगलाम लालाराम

963/807 रकबा 23.18 बीघा कुल रकबा 26.18 बीघा भूमि में प्राथी के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 किसी प्रकार का दखलन्दाजी नही करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात यथा खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी, नक्शा का भी अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से एवं वकील प्रार्थी की बहस से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमदा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 806 रकबा 03.00 बीघा व खसरा संख्या 963/807 रकबा 23.18 बीघा कुल रकबा 26.18 बीघा भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/08/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर